रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

HRE Gazette of India

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii) प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

FUBLISHED BI AUTHORIT

सं. 466] No. 466]

नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 2, 2013/फाल्गुन 11, 1934 NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 2, 2013/PHALGUNA 11, 1934

वाणिञ्ध एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2013

का.आ. 503(अ).—यतः, मै. केरल स्टेट इन्फोरमेशन टेक्नोलोजी इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, जो केरल राज्य में एक निजी संगठन है, ने विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) (जिसे एतद्पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 के अंतर्गत ग्राम चीमेनी, तालुका होसदुर्ग, कसारागोड़ जिला में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी समर्थित सेवाओं के लिए एक क्षेत्र विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु प्रस्ताव किया है;

और यतः, केन्द्र सरकार इस बात से संतुष्ट है कि उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (8) के अंतर्गत अपेक्षाओं तथा अन्य संबंधित अपेक्षाओं को पूरा कर लिया गया है और उसने उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के विकास, प्रचालन एवं रखरखाव हेतु उक्त अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (10) के अंतर्गत दिनांक 19 सितम्बर, 2008 को अनुमोदन पत्र प्रदान कर दिया है;

अत:, अब, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 की धारा 4 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और विशेष आर्थिक जोन नियम, 2006 के नियम 8 के अनुसरण में, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा निम्नलिखित तालिका में उल्लिखित सर्वेक्षण संख्या और क्षेत्र को उपर्युक्त स्थान पर विशेष आर्थिक जोन के रूप में अधिसूचित करती है, अर्थात् :---

तालको						
क्रम सं.		ग्राम का नाम	सर्वेक्षण संख्या	क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)		
1.	4	चीमेनी	260/1ए।ए।	40.4711		
)		কুল	40.4711 हेक्टेयर		

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 13 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 14 के प्रयोजनार्थ उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन के लिए एक समिति, जिसे अनुमोदन समिति कहा जाएगा, गठित करती है, जिसके अध्यक्ष और सदस्य निम्नानुसार हैं, अर्थात् :—

1.	विशेष आर्थिक जोन का विकास आयुक्त	अष्यक्ष, पदेन
2.	निदेशक अथवा उप-सचिव, भारत सरकार, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग या उसका	सदस्य, पदेन
	नामिती जिसका स्तर अवर सचिव, भारत सरकार से कम नहीं होगा	
3.	विशेष आर्थिक जौन पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाला क्षेत्रीय संयुक्त विदेश व्यापार महानिदेशक	सदस्य, पदेन
4.	विशेष आर्थिक जोन) पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले सीमा–शुल्क आयुक्त या केन्द्रीय उत्पाद	सदस्य, पदेन
	शुल्क आयुक्त अथवा उनका नामिती जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	
5.	विशेष आर्थिक जोन) पर भू–भागीय क्षेत्राधिकार रखने वाले आयकर आयुक्त अथवा उसका नामिती	—सदस्य, पदेन
	जिसका स्तर संयुक्त आयुक्त से कम नहीं होगा	

(1)

867 GI/2013

-सदस्य, पर्दन

-विशेष आमंत्रिती

- निदेशक (बैंकिंग), वित्त मंत्रालय, बैंकिंग प्रभाग, भारत सरकार
- राज्य सरकार द्वारा नामित किए जाने वाले दो अधिकारी जिनका स्तर संयुक्त सचिव से कम नहीं होगा
- जोन के विकासकर्ता का प्रतिनिधि

और यतः, विशेष आर्थिक जोन अधिनियम, 2005 (2005 का 28) की धारा 53 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद्द्वारा दिनांक 28 फरवरी, 2013 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है जिस तारीख से उपर्युक्त विशेष आर्थिक जोन को सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 7 के अंतर्गत अंतर्देशीय कटेनर डिपो माना जाएगा।

[फा. सं. एफ. 1/109/2008-एसईजेड]

राजीव अरोड़ा, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2013

S.O. 503(E).—Whereas, M/s. Kerala State Information Technology Infrastructure Limited has proposed under Section 3 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), (hereinafter referred to as the said Act), to set up a sector specific Special Economic Zone for information technology and information technology enabled services at Village Cheemeni, Taluk Hosdurg, District Kasaragod in the State of Kerala;

And whereas, the Central Government is satisfied that requirements under sub-section (8) of Section 3 of the said Act, and other related requirements are fulfilled and it has granted letter of approval under sub-section (10) of Section 3 of the said Act for development, operation and maintenance of the above sector specific Special Economic Zone on 19th September, 2008;

Now, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 4 of the Special Economic Zones Act, 2005 and in pursuance of rule 8 of the Special Economic Zones Rules, 2006, hereby notifies the following area at above location with survey numbers given below in the Table, as a Special Economic Zone, namely :----

		IADLE		
Serial No.	Village	Survey Number	Area (in hectares)	
1	Cheemeni	260/1A1A1	40.4711	
		Total	40.4711 hectares	

TA DE YS

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 13 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby constitutes a Committee to be called the Approval Committee for the above Special Economic Zone for the purposes of Section 14 of the said Act consisting of the following Chairperson and Members, namely :---

1.	Development Continissioner of the Special Economic Zone	-Chairperson ex-officio;
2.	Director or Deputy Secretary to the Government of India, Ministry of Commerce	
	and Industry, Department of Commerce or his nominee not below the rank of	—Member ex-officio;
	Under Secretary to the Government of India	1. C.
3.	Zonal Joint Director General of Foreign Trade having territorial jurisdiction over	Marral (C)
	the Special Economic Zone	Member ex-officio;
4.	Commissioner of Customs or Central Excise having territorial jurisdiction over the	
	Special Economic Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	—Member ex-officio;
5.	Commissioner of Income Tay having territorial init 11 di	
2.	Commissioner of Income Tax having territorial jurisdiction over the Special Economic	Member <i>ex-officio</i> ;
2	Zone or his nominee not below the rank of Joint Commissioner	
6.	Director (Banking) in the Ministry of Finance, Banking Division, Government of Indi	a — Member ex-officio;
7.	Two officers, not below the rank of Joint Secretary, to be nominated by the State	55
	Government	—Member ex-officio;
8.	Representative of the Developer of the Zone	0 · · · · ·
		Special Invitee

And, therefore, the Central Government, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of Section 53 of the Special Economic Zones Act, 2005 (28 of 2005), hereby appoints the 28th day of February, 2013 as the date from which the above Special Economic Zone shall be deemed to be Inland Container Depot under Section 7 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962).

[F. No. F. 1/109/2008-SEZ] RAJEEV ARORA, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064 and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

2